(vii) NEED FOR STEPS TO BRING PEACE IN DELHI UNIVERSITY CAMPUS

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Panskura): I want to raise the following matter of urgent public importance under Rule 377.

Employees of Delhi University who were peacefully demonstrating for their demands from 1 p.m. on Saturday the 19th December were lathicharged in the small hours of Sunday the 20th December and 12 leaders of Delhi University Karmachari Union (affiliated to AITUC) including three of their executive members, were arrested. On the 21st Delhi University employees, students and teachers together resorted to strike in protest against the lathicharge and arrest and in support of the employees' demands.

The demands of the employees are very reasonable and just. Those include the demand of inclusion of employees' representatives in the Executive Council of the University, raising the number of employees in the University and colleges as the work-load has increased very much and there was no increase in the number since 1962, increase of houserent allowance or providing house, restitution of the pay cut imposed on them due to their participation in the strike of 23rd November, the all-India demand day of the teachers.

It is a matter of great regret that the University authorities have taken the road of confronting the employees with police help instead of a negotiated settlement.

The Minister in charge of Education fortunately for me is here now and I hope she would take immediate steps to bring peace in the campus by taking initiative for starting a talk for a reasonable settlement after releasing all the arrested employees.

(viii) NEED FOR ALTERNATIVE EMPLOYMENT FOR AD-HOC EMPLOYEES OF CENSUS OPERATION DEPARTMENT AFTER PROPOSED RETRENCHMENT.

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन भारतीय अस्थाई जनगणना कर्मचारी महासंघ के समस्त 27,200 कर्मचारियों, जिन्होंने 1981 की जनगणना के सारणीयन (टेबुलेशन वर्क) में भाग लिया था तथा जो उन कार्यों के लिए अस्थाई रखे गये थे, कि समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं :—

इन कर्मचारियों को मात्र 380-330 रुपये व 280 रुपये स्थिर वेतन विभिन्न श्रेणियों में मिलता है । इन के द्वारा प्रदत्त आंकड़ों पर ही भारत का योजना मंत्रालय अपनी योजनायें निर्धारित करता है । इतने गुरुत्तर कार्य के लिए इन को इतना अल्प वेतन मिलता है । पर फिर भी ये इस कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ कर रहे हैं ।

इस सेवा अवधि में मिलने वाले अल्प वेतन से असंतोष तो है, लेकिन इनसे अधिक चिन्ता है कि 28 फरवरी, 1982 को छंटनी के उपरान्त इनका भविष्य क्या होगा ? मैं केन्द्र सरकार से इस सेवा अवधि के उपरान्त वैकल्पिक रोजगार की प्रभावी व्यवस्था की मांग करता हूं । केन्द्रीय सरकार को अस्थाई जनगणना कर्मचारियों की छंटनी के समय केन्द्र व राज्य सरकारों में वैकल्पिक रोजगार की प्रभावी व्यवस्था हो ।

1971 जनगणना के कोडिंग व पंचिंग सेल के छंटनी-शुदा कर्मचारियों को जो सुविधाएं प्रदान की गई थीं, वे सभी सुविधायें 1981 के जनगणना कर्मचारियों को केन्द्र सरकार द्वारा दी जायं । केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवा अवधि + 3 साल की आयु छूट केन्द्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त राजकीय सरकारों के अधीन कार्यालयों में भी दी जानी चाहिए ।

अस्थाई जनगणना कर्मचारियों को योग्यतानुसार केन्द्रीय रोजगार चयन